संख्या- 8/2015/ 40/38-4-15-09 (बजट)/13

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0 प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग- लखनऊः दिनांक 06 फरवरी, 2015

विषयः- इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष-2014-15 की केन्द्राश के सापेक्ष समतुल्य मैचिंग राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1032/सम्प्रेक्षा/इं0 आ0 यो0/2014-15, दिनांक-01 जनवरी, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष-2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि रू0-1080.00 करोड मे से शासनादेश संख्या-648/38-4-14-09 (बजट)/2013, दिनांक-30 मई, 2014 द्वारा रू0-270.00 करोड़, शासनादेश संख्या-932/38-4-14-09 (बजट)/2013, दिनांक-31 जुलाई, 2014 द्वारा रू0-60036.701 लाख, शासनदेश संख्या-1184/38-4-14-09 (बजट)/13, दिनाक-13 अक्टूबर, 2014 द्वारा रू0-6992.829 लाख, शासनादेश संख्या-1251/38-4-14-09 (बजट)/13टी0सी, दिनाक-02 दिसम्बर, 2014 द्वारा रू0-1671.249 लाख, शासनादेश संख्या-2/1331/38-4-2014-09 (बजट)/13, दिनांक-11 दिसम्बर11, 2014 द्वारा रू0-6028.400 लाख एवं शासनादेश संख्या'-2/1489/38-4-14-09 (बजट)/2013 दिनांक-16 जनवरी,2015 द्वारा रू0-265.651 लाख तथा शासनादेश सं0-3/41/38-4-15-09 (बजट)/13 दिनांक-3 फरवरी, 2015 द्वारा रू0-18109.28 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है। इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष-2014-15 की आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से केन्द्रांश की धनराशि रू0-27159.920 लाख एवं समतुल्य राज्यांश की धनराशि रू0-9053.306 लाख अर्थात कुल रू0-36213.226 लाख की धनराशि में से अवशेष धनराशि रू0-18103.946 लाख (रूपये एक अरब इक्यासी करोड़ तीन लाख चौरानबे हजार छः सौ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय, निम्न प्रतिबन्धों/ शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि किसी भी दशा में सामान्य मद में व्यय नहीं की जायेगी । चूँकि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की संख्या नगण्य है, इसलिए सम्पूर्ण धनराशि अनुसूचित जाति के लाभार्थियों पर ही व्यय की जायेगी तथा भारत सरकार द्वारा निर्गत योजना के मार्ग निर्देशों का उल्घन नहीं किया जायेगा ।

(2) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का उपयोग अनुमन्य धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।

(3) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।

(4) समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय।

(5) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/ लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित किया जायेगा।

2----

(6) तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक- "4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाये-0101-इन्दिरा आवास योजना(जिला योजना)(के.75/रा.25)24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

(7) इस संबंध में यह भी अनुरोध है कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फाॅंट सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि जिलाधिकारी प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश का आहरण कर सके।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के अशासकीय पत्र संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनाक 22 जुलाई, 2014 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव

संख्या-8/2015/40(1)/38-4-15 तद्दिनांक ।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- संबंधित जनपद के जिलाधिकारी।
3- अपर आयुक्त(लेखा),ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
4- संवंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक,उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6- संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7- संवंधित जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
9- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
10- बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ,समाज कल्याण विभाग।
11- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
12- गार्डबुक।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव ।